

# कायालिय अधिष्ठाता,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

ई-मेल: [cmmmedicalcollege@gmail.com](mailto:cmmmedicalcollege@gmail.com)

वेबसाईट : [www.cmmmedicalcollege.com](http://www.cmmmedicalcollege.com)

क्रमांक / ४५५ / स्था. / सीसीएमसी / 22

दुर्ग, दिनांक / ०९/०८/२०२२

// स्टॉफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ १२-१६/२०२१/५५ नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक १३ सितम्बर २०२१ के द्वारा चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु स्वीकृत स्टाफ नर्स के रिक्त सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ ३-६७/२०२१/५५ नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०६ जून २०२२ द्वारा अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से, ऑनलाइन आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाईट : [www.cmmmedicalcollege.com](http://www.cmmmedicalcollege.com) पर दिनांक १७ जून २०२२ से १५ जुलाई २०२२ तक आमंत्रित किये जाते हैं :—

रिक्त पदों की संख्या एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नुसार है :—

क्र.	पदनाम	वेतनमान मेट्रिक्स	रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	योग	शैक्षणिक अर्हताएं
1	स्टॉफ नर्स	लेवल-७	176	अनारक्षित	47	22	5	74	(1) बी.एस.सी.नर्सिंग या पोस्ट वेसिक (बी.एस.सी.नर्सिंग) प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
				अनु.ज.जा.	37	16	3	56	(2) केन्द्रीय/छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन।
				अनु.जा.	14	6	1	21	
				अ.पि.व.	17	7	1	25	

नोट :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूर्ण करता है। अतः आवेदन प्रस्तुत करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनहर्फ पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त तथा उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।

1. आयु सीमा :- आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। (केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासियों हेतु) छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा, परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी। सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. नियम एवं शर्त :-

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का "मूल निवासी" होना अनिवार्य है। इस हेतु उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी को राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवारों को तीन वर्ष (वित्त निर्देश 22/2020) की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा।

4. आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।
5. प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं को नियमानुसार क्षैतिज (हारिजान्टल) आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किये जायेंगे। वरन् उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है।
6. उक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों को समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समर्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैद्य) होना अनिवार्य है।
8. आवेदन भरने में आवश्यक सावधानी बरते, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्मतिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन नहीं होगा।
9. आवेदक को पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है, आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जायेगी।
10. संबंधित पद के लिए वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र चयन के समय विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्मतिथि अंकित हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची सहित मूल दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
12. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है उन्हें अपने नियोक्ता / विभाग प्रमुख के द्वारा जारी किये गये अनुमति/अनापत्ति प्रमाण—पत्र दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
13. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

### 3. चयन प्रक्रिया :-

1. चयन हेतु प्रावीण्यता का निर्धारिण निम्नानुसार किया जावेगा :-

स्टाफ नर्स के पद हेतु :-

(क)	बी.एस.सी.नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण के कुल प्राप्तांक का अंक।	80 % अंक
(ख)	शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में किये गये कार्य के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 02 अंक अधिकतम 10 अंक। <small>(अपूर्ण वर्ष के लिए अंक निर्धारिण नहीं होगा)</small>	10 अंक
(ग)	बिन्दु क्रमांक 03 का (7) अनुसार कोरोना वैशिक महामारी में किये कार्य हेतु।	10 अंक
		कुल : 100 अंक

2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधिष्ठाता, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग को होगा।

4. चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।
5. अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965-66 के अध्याधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण के कार्य करेंगे।
6. चयन प्रक्रिया के संबंध में अधिष्ठाता, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
7. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 1-67 / 2021 / सत्रह / एक दिनांक 07 दिसम्बर 2021 के अनुसार कोरोना वैशिक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातर सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंक लाभ दिया जाना है। उक्ताशय का पात्रताधारी अभ्यर्थी विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में तदाशय का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय/संस्था के सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।
8. चयन प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।
9. विज्ञापन संबंधी किसी भी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार अधिष्ठाता, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग को होगा।

उपरोक्तानुसार सीधी भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन, पाठ्यक्रम एवं विस्तृत जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाईट : [www.cmmedicalcollege.com](http://www.cmmedicalcollege.com) का अवलोकन करें।

अधिष्ठाता,  
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग

Ques

## कार्यालय का नाम एवं पता

क्रमांक

दिनांक

शासकीय स्वास्थ्य संस्था द्वारा, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए जारी किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कु.....

पिता/ पति का नाम.....इस संस्था में .....के पद पर दिनांक .....  
से .....तक सविदा/दैनिक वेतन भोगी/ अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं/ थे । उक्त कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय/ संस्था में लगातार छः माह तक या छः माह से अधिक ( कुल .....वर्ष.....  
माह.....दिन) तक सेवा दिया गया है/ था । छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
मंत्रालय महानन्दी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/  
सत्रह/एक दिनांक 07.12.2021 के परिपालन में श्री..... दिनांक ..... में विज्ञापित सीधी भर्ती  
के पद .....(पद का नाम) में चयन हेतु 10 बोनस अंक की पात्रता है ।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर  
पदमुद्रा सहित